

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से सम्बन्धित 17 बिन्दुओं की सूचना,

आगरा जोन, आगरा।

1- आगरा जोन में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिसमें एक जनसूचना अधिकारी एवं सहायक जनसूचना अधिकारी की नियुक्ति की गयी है।

2- जनसूचना अधिकारी की शक्तियों/कार्य:- जनसूचना अधिकारी द्वारा व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा मांगी गई सूचनाओं को अधीनस्थ परिक्षेत्रों/जनपदों से प्राप्त कर सम्बन्धित को उपलब्ध कराना एवं सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत सम्बन्धित परिक्षेत्रों/जनपदों को आन्तरित किया जाता है।

सहायक जनसूचना अधिकारी की शक्तियों/कार्य:- अपनी शाखा से सम्बन्धित सूचना को परिक्षेत्र/जनपदों से प्राप्त कर जनसूचना अधिकारी को समय से उपलब्ध कराना है।

3- प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर उसको सम्बन्धित जनपदों को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(3) अन्तर्गत आन्तरित कराना व सूचनाएँ प्राप्त होने पर सूचना सम्बन्धित को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत उपलब्ध कराना है।

4- विहित सीमा के अन्तर्गत सूचनाओं को सम्बन्धित जनपदों से प्राप्त कराना व समय सीमा के अन्तर्गत आवेदक को सूचना उपलब्ध कराना होना है।

5- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत दिये गये नियमों का अनुपालन करना व कराना।

6- दस्तावेजों का श्रेणीवार विवरण निम्नलिखित है:-

→ मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र ।

→ शासन/अन्य माध्यमों से प्राप्त प्रार्थना पत्र

→ पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र

→ अपीलीय प्रार्थना पत्र

7- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

8- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

9- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत दिये गये नियमों का अनुपालन किया जाता है।

10- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

11- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

12- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

13- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

14- संगठन द्वारा प्रदत्त छूट, अधिकार पत्र तथा अधिकृतियों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण-शून्य

15- इलेक्ट्रानिक प्रारूप में उपलब्ध करायी गयी सूचना-उक्त सूचना को इलेक्ट्रानिक रूप से निबद्ध होने के बाद उसकी प्राप्ति के सम्बन्ध में अवगत कराया जाता है।

16 लोकसूचना अधिकारियों के नाम व पदनाम- अपर पुलिस महानिदेशक, आगरा जोन, आगरा कार्यालय में लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति निम्नलिखित है:-

क्रम सं०	पदनाम	कार्य
1.	प्रधान लिपिक / जनसूचना अधिकारी	व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा मांगी गई सूचनाओं को अधीनस्थ परिक्षेत्रों/जनपदों से प्राप्त कर सम्बन्धित को उपलब्ध कराना एवं सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत सम्बन्धित परिक्षेत्रों/जनपदों को आन्तरित करना।
2.	आरक्षी ना०पु०	समस्त अभिलेखों का रख-रखाव कराना, आलेख प्रस्तुत करना व अनुस्मारक निर्गत कराना एवं समस्त दस्तावेजों को अद्यतन करना।

17- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

RTI NODAL OFFICER DETAILS AGRA ZONE POLICE OFFICE AGRA

1	DEPARTMENT NAME	OFFICE OF THE ADG OF POLICE AGRA ZONE
2	DEPARTMENT ADDRESS	ZONAL OFFICE, NORTH IDGAH COLONY AGRA
3	NODAL OFFICER NAME IN ENGLISH	NARENDRA KUMAR GAUTAM
4	NODAL OFFICER NAME IN HINDI	श्री नरेन्द्र कुमार गौतम
5	NODAL OFFICER DESIGNATION	HEAD CLERK (SI-M)
6	NODAL OFFICER OFFICIAL E-MAIL ADDRESS	hc-zone.ag@up.gov.in
7	NODAL OFFICER OFFICIAL MOBILE NUMBER	7839854679
8	NODAL OFFICER OFFICE LANDLINE NUMBER	0562-2265736